

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
 संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 18/3/21

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रूपये 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या— 63 / 12.02.2019; 03 / 26.04.2018 एवं 83 / 27.01.2017
 (Online स्वीकृत्यादेश सं.— 2097 / 12.02.2019; 277 / 02.05.2018 एवं 2289 / 09.02.2017)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र०	मौग संख्या/मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	50—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 19— नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05—निर्माण / 45— निर्माण कार्य विपत्र कोड— 50S470200796190545	1000.000

आवंटित राशि — रूपये दस करोड़ मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट—1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- निर्गत आवंटन वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुनर्विनियोग एवं अनुपूरक आगणन में प्राप्त राशि के फलस्वरूप संशोधित बजट उपबंध रु. 4895.00 लाख (अड्डतालीस करोड़ पंचानबे लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक—19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षराशः पालन करते हुए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमि.)(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अमि.)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निवेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समय उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के रत्नं-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।



(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :— 294

रॉची, दिनांक :— 18/3/21

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/सिमडेगा/चाईबासा/सरायकेला/जमशोदपुर/दुमका/पाकुड़/साहेबगंज/जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।




(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :— 294

रॉची, दिनांक :— 18/3/21

प्रतिलिपि :— सचिव, योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा—7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)



(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पांचांक 294

दिनांक 18/3/21 का अनुलग्नक

परिसिवर -1

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पैसेजित व्यय
लघु शीर्ष-796-जनजातीय सेवाएँ उपयोजना,
उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,
निरन्तर शीर्ष-05-निर्माण
संशोधित बजट उपर्युक्त (2020-21) – रुपये 4895.00 लाख
तिपत्र कोड- 505470200796190545

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थीर्कृति			वर्ष 2020-21 में (राशि लाख रुपये में)					योजना पर कुल अधितन आवंटन (10-13)	Online Allotment Access No.	अन्युकृति			
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग	एकरारनामा की राशि	मार्च 2020 तक व्यय	पूर्व का आवंटन	कुल आवंटन	9	10	11	12	13	14	15
1	1	रौची	बैडो	वारीडीह नाला पर शृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	6	7	8	149.727	133.280	39.893	42.178	22.536	64.714	104.607				
2	2	लघु सिंचाई प्रमंडल,	सिल्ली	बन्दुआडीह सितमारा नाला पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19	78.250	2097	56.430	24.980	22.001	10.650	32.651	57.631	88975				
3	3	(RNCMIR001)	रौची	डोमाइडीह नाला पर एकल चेकडैम निर्माण	dt. 12.02.2019	65.817		55.206	24.999	9.952	17.072	27.024	52.023					
4	4	रौची	अनगाड़ा	पहाड़सिंह में गाटर पुल चेकडैम निर्माण	130.997			108.620	19.800	45.401	40.103	85.504	105.304					
5	5	रौची	चान्हो	मेलानी उद्वाह सिंचाई योजना का निर्माण	03/2018-19	54.633	277	53.236	0.000	0.000	7.210	7.210	7.210	88998				
				योग :-		479.424		406.772	109.672	119.532	97.571	217.103	326.775					
6	1	लघु सिंचाई सिमडेगा	कुरडेगा	समस्तीया नाला पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19	84.512		73.530	16.000	59.229	9.280	68.509	84.509					
7	2	(SDGMIR001)	सिमडेगा	ठर्डेटांगर जोगाराहा नाला पर शूंग चेकडैम निर्माण	dt. 12.02.2019	319.121	2097	281.090	62.920	77.285	75.000	152.285	215.205	88976				
8	3		सिमडेगा	बासगोर कासबहल नाला पर शूंग चेकडैम निर्माण	142.734			126.434	27.977	0.000	65.720	65.720	93.697					
				योग :-		546.367		481.054	106.897	136.514	150.000	286.514	393.411					
9	1	प० सिहमूम	चक्रधरुर	नालीता नाला पर शृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	83/2016-17	2289		127.112	123.166	91.832	0.000	22.839	22.839	114.671	89004			
10	2	लघु सिंचाई प्रमंडल,	मझारी	करंजिया नाला पर चेकडैम निर्माण	91.983			82.031	8.999	0.000	58.000	58.000	66.999					
11	3	(SGHMIR002)	प० सिहमूम	मनोहरुर चार्वाचा नाला पर चेकडैम निर्माण	74.13			65.286	5.955	0.000	56.700	56.700	62.655					
12	4		प० सिहमूम	हठायाहरिया तुर्फा नाला पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19	57.749	2097	51.390	0.000	0.000	48.000	48.000	48.000	88977				
13	5		प० सिहमूम	तातनगर तिलाईझरी नाला पर चेकडैम निर्माण	51.020			45.379	2.656	0.000	22.260	22.260	24.916					
				योग :-		402.577		367.252	109.442	0.000	207.799	207.799	317.241					
14	1	लघु सिंचाई सरपकोला	कुचाई	जुगाडीह नाला पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19	59.749	2097	58.780	4.490	23.336	26.000	49.336	53.826	88978				
				योग :-		59.749		58.780	4.490	23.336	26.000	49.336	53.826					

(अधिकारी कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अधिक)

(प्रशासन तुम्हारा)
सचिव

2021
(राजेन्द्र प्रसाद दास)
उप सचिव (अधिक)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकरणनामा की साथे Online प्रसंग	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020-21 में एवं लाख रुपये में)	योजना पर कुल आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अनुकूलित			
					प्रसंग	साथे	Online प्रसंग									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	1	लाटु सिंचाई	पृष्ठ सिहमूम	चान्दूलिया	बालीखाल नाला पर चैकड़ैम निर्माण	63/2018-19	69.950	62.340	0.000	0.000	54.451	54.451	54.451			
16	2	प्रसंदल, जमशेदपुर	पृष्ठ सिहमूम	झुनिया	जुरिया लोकल नाला पर चैकड़ैम निर्माण	dt. 12.02.2019	76.419	2097	68.039	7.471	21.845	17.750	39.595	47.066	88979	
17	3	(JSRKMIR001)	पृष्ठ सिहमूम	जमशेदपुर	ग्राम-लघुलुम एवं कोरो के बीच में डोमा जोरिया नाला पर चैकड़ैम निर्माण	dt. 12.02.2019	72.496	62.137	3.583	58.618	1.160	59.778	63.361			
				योग :-		218.865	192.516	11.054	80.463	73.361	153.824	164.878				
18	1		दुमका	शिकारीपाड़ा	भागाबांध जोरिया में चैकड़ैम निर्माण		76.379		66.971	30.000	19.054	26.190	45.244	75.244		
19	2		दुमका	शिकारीपाड़ा	दरका जोरिया पर शूंठ चैकड़ैम निर्माण		146.199		128.112	58.000	29.239	48.341	77.580	135.580		
20	3		दुमका	काठीकुण्ड	लक्षणपानी जोरिया पर चैकड़ैम निर्माण		59.585		52.748	22.832	22.619	7.000	29.619	52.451		
21	4	लाटु सिंचाई	दुमका	काठीकुण्ड	सरवापानी जोरिया पर चैकड़ैम निर्माण		73.014		59.902	26.351	10.557	23.000	33.557	59.908		
22	5	प्रसंदल, दुमका	दुमका	पथराड़ा जोरिया पर शूंठ चैकड़ैम निर्माण	(DMKJMIR001)	63/2018-19	106.201	2097	94.016	40.237	31.179	32.000	63.179	103.416	88980	
23	6		दुमका	सरेयाहट	हरहरिया जोरिया पर शूंठ चैकड़ैम निर्माण	dt. 12.02.2019	201.230		177.178	80.000	59.605	25.000	84.605	164.605		
24	7		दुमका	रामगढ़	डेलीपाथर जोरिया पर शूंठ चैकड़ैम निर्माण		171.360		152.528	66.391	76.023	22.027	98.050	164.441		
25	8		दुमका	रामेश्वर	कुमुरी जोरिया पर शूंठ चैकड़ैम निर्माण		271.685		216.333	108.000	17.544	29.283	46.827	154.827		
26	9		दुमका	जमयुण्डी	घोस्तारा लक्षणपानी जोरिया पर चैकड़ैम निर्माण		76.553		67.675	50.756	0.000	14.186	14.186	64.942		
				योग :-		1,182.206		1,015.463	482.567	265.820	227.027	492.847	975.414			
27	1		पाकुड़	अमड़पाड़ा	सलपतरा नाला पर शूंठ चैकड़ैम का निर्माण		162.837		144.830	40.000	23.567	81.039	104.606	144.606		
28	2	प्रसंदल, पाकुड़	पाकुड़	उदयनारपायपुर	देवतला ग्राम में मसना	63/2018-19	96.420	2097	86.510	0.000	9.701	38.720	48.421	48.421	88981	
29	3	(PKRKMIR001)	पाकुड़	नवेशपुर	लोगांव नाला में शूंठ चैकड़ैम का निर्माण		97.030		87.260	24.530	35.467	22.000	57.467	81.997		
				योग :-		356.687		318.600	64.530	68.735	141.759	210.494	275.024			
30	1	लाटु सिंचाई	साहेबगंज	राजमहल	दररता नाला पर चैकड़ैम सं-1 निर्माण		51.435		45.621	19.840	21.109	5.154	26.263	46.103		
31	2	प्रसंदल, साहेबगंज	साहेबगंज	राजमहल	दररता नाला पर चैकड़ैम सं-2 निर्माण		52.232		46.268	0.240	0.000	41.450	41.650			
32	3	(SBJMJMIR001)	साहेबगंज	बरहट	ग्राम चौनवाल में पक्का चैकड़ैम निर्माण	63/2018-19	45.118	2097	40.083	17.700	24.642	1.036	25.678	43.378	88983	
33	4		साहेबगंज	पतना	तीलमती में चैकड़ैम का निर्माण		50.524		44.813	20.000	18.514	5.593	24.107	44.107		
34	5		साहेबगंज	पतना	लखनपुर में चैकड़ैम का निर्माण		76.040		67.523	27.948	37.038	3.250	40.288	68.236		
				योग :-		275.349		244.308	85.728	101.303	56.483	157.786	243.514			
35	1	प्रसंदल, जमताड़ा	जमताड़ा	कुंडहित	घोड़ुला जोरिया पर चैकड़ैम निर्माण	63/2018-19	57.724	2097	50.610	10.587	0.000	20.000	30.587	88986		
				सकल योग :-		3,578.548		3,135.355	984.967	795.703	1,000.000	1,795.703	2,780.670			
				आवंटत साथ - रूपये दस करोड़ मात्र।												

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (आई)294
18/3/21(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (आई)(प्रशांत कुमार)
सचिव